


वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.293.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(3)एफडी/युप-IV/93/1-83 दिनांक 07.03.1994 और अधिसूचना सं. एफ.2(3)एफडी/युप-IV/93/1-84 दिनांक 07.03.1994 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 37 के खण्ड (ख) के अधीन संपत्ति के कब्जे के बिना निष्पादित बंधक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया जायेगा और 0.15 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-229]

राज्यपाल के आदेश से,

  
मनोष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, March 9, 2015**

**S.O.293.-** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's Notification No. F.2(3)FD/Gr.IV/93/1-83 dated March 7, 1994 and Notification No. F.2(3)FD/Gr.IV/93/1-84 dated March 7, 1994, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the mortgage deeds executed without possession of the property under clause (b) of Article 37 of the Schedule of the said Act, shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-229]

By order of the Governor,



**(Manish Mathur)**

Jt. Secretary to the Government